वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – आयोडिन डिफिसियेन्सि डिसऑडर कंट्रोल प्रोग्राम

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – आयोडिन डिफिसियेन्सि डिसऑडर कंट्रोल प्रोग्राम

NRHM-E

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर) – PART – F2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राष्ट्रीय आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं –

1. पूरे राज्य में साधारण नमक के स्थान पर आयोडिन नमक का उपयोग करना ।
2. आयोडीन नमक की आपूर्त्ति के असर को जानने के लिये आयोडीन की कमी के रोगों का पुनः सर्वेक्षण किया जाना ।

इकाई राशि (रू0 लाख में) –

क्रम सं0	विवरणी	दर (प्रति प्रा0स्वा0केन्द्र)
1	प्रशिक्षण	1000/–
2	जागरूकता अभियान	500/–
3	विद्यालय में कार्यक्रम	1000/–
4	प्रचार प्रसार सामग्री हेतु	435/–
5	ऑगनवाड़ी केन्द्र एवं समुदाय के बीच क्रियाकलाप हेतु	500/–
एक इकाई को प्रति वर्ष आवंटित की जाने वाली राशि रू0 – 3,435/–		

वित्तीय दिशा निर्देशन – राज्य के सभी जिलों में उपरोक्त विवरणी के अनुरूप राष्ट्रीय आयोडिन की कमी की रोकथाम हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन जिला से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक किया जाना है । उक्त राशि के अंतर्गत निम्न क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं –

- आयोडिन नमक के उपयोग हेतु समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना तथा इसकी उचित निगरानी करना ।
- प्रत्येक नोडल शिक्षक द्वारा विभिन्न इलाकों में रहने वाले 20 बच्चों का चयन करना ।
- प्रत्येक बच्चे द्वारा उनके इलाके के इर्द–गिर्द के 15–20 घरों एवं दुकानों में घूम कर जागरूकता फैलाना तथा इसकी निगरानी करना ।
    - प्रभारफेरी में आयोडिन नमक के उपयोग करने हेतु नारे लगाना ।
    - मानव श्रृंखला बनाकर इसका प्रचार करना ।
    - मैराथन/साईकिल रेस के द्वारा भी इसका प्रचार करना ।
- सभी बच्चों को उक्त कार्य हेतु प्रमाण पत्र दिया जाना तथा जो बच्चें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगें उन्हें पुरस्कृत करना ।
- प्रत्येक नोडल शिक्षक अपने कक्षा का रिर्पोट तैयार करेंगें ।
- प्रत्येक स्कुल क्रियाकलाप से संबंधित रिर्पोट तैयार करेंगें, जिसमें आयोडिन नमक के पर्यवेक्षण से संबंधित रिर्पोट भी शामिल होगा ।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 25 तारीख को प्रधानाध्यापक/नोडल शिक्षक के साथ एक समीक्षात्मक बैठक करेंगें तथा संबंधित प्रखंड के सारे विद्यालयो का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगें ।

- जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक माह के 28 तारीख को बैठक का आयोजन करेंगें तथा उनके जिले के सभी स्कूलों का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगें ।
- इस बैठक में अगले माह आयोजित होने वाली बैठक का कार्ययोजना एवं बजट तैयार करना तथा कार्य संपादित करने हेतु संबंधित व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौपना ।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ मिलकर विद्यालयों का चयन करेंगें तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से राशि का संबंधित विद्यालयों का भुगतान किया जायेगा । साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध करवायेंगें ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ0 अतुल कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं0 – 9470003022